न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:– 92/2018 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. समसू पुत्र सूबे खॉ
2. नसरू पुत्र सूबे खॉ
3. अख्तर पुत्र सूबे खॉ जाति मेव निवासीयान ग्राम गोलेटा तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।

..... अपीलाण्टस

बनाम

1. जुम्मे खॉ पुत्र सूबे खॉ जाति मेव निवासी ग्राम गोलेटा तह0 रामगढ जिला अनवर राज0

..... असल रेस्पोडेण्ट

2. ताजूली पत्नि मान सिंह पुत्री सूबे खॉ निवासी ग्राम खरखडी तह0 नगर जिला भरतपुर
3. जुम्मी पत्नि मूसा पुत्री सूबे खॉ निवासी ठेकडा तह0 व जिला अलवर राज0
4. हमीदी पत्नि इस्लाम पुत्री सूबे खॉ निवासी झंझार तह0 नगर जिला भरतपुर
5. असरी पत्नि टुण्डा पुत्री सूबे खॉ निवासी ग्राम ठेकडा तह0 व जिला अलवर राज0
6. अख्तरी पत्नि अयूब पुत्री सूबे खॉ निवासी ग्राम कोलगांव तह0 किशनगढबास अलवर
7. शकील पुत्र हमीदा पौत्र सूबे खॉ निवासी गोलेटा तह0 रामगढ जिला अलवर जरिये सरपरस्त माता खुद हाजरा पत्नि हमीदा।

..... तरतीबी रेस्पोडेण्टान

उपस्थित :–
1. श्री गणपत सिंह नरूका, अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री उदय प्रताप सिंह, अभिभाषक रेस्पोडेण्ट।

::: निर्णय :::

दिनांक :–31.03.2021

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी रामगढ के राजस्व लोक अदालत शिविर/कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत केसरोली के निर्णय दिनांक 30.06.2017 वाद संख्या 1/170/15 बउनवान समसू बनाम जुम्मे खॉ के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी रामगढ में वाद पत्र धारा 53, 188 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी हाल खसरा नम्बर 273 रकबा 0.13, 370 रकबा 0.09, 371 रकबा 0.17, 372 रकबा 0.17, 418 रकबा 0.23, 452 रकबा 0.18 हैक्ट. कुल किता 6 रकबा 0.97 हैक्ट. वाके ग्राम गोलेटा तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित आराजी है। राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादीगण व असल प्रतिवादी सं0 1 और तरतीबी प्रतिवादीगण समस्त का 1/10 व 1/10 हिस्सा है, जो रकबा सालिम कब्जे काश्त खातेदारी है। उक्त आराजी अबट काश्त भूमि है। जिसका आज तक तकासमा नहीं हुआ है। प्रतिवादी सं0 1 वादीगण की कब्जे हिस्से रकबे काश्त में आये दिन रूकावट व मजाहमत पैदा करता है। वादी ने मातहत अदालत अपखण्ड अधिकारी रामगढ से प्रार्थना की कि डिक्री बाबत तकसीम आराजी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जाकर उक्त आराजीयात में से हिस्सानुसार अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी तकसीम करायी जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्से का अलग खाता व लगान कायम कराया जाकर तरफ डाली जावें। मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ के निर्णय दिनांक 30.06.2017 को वादीगण एवं प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित थे। मातहत अदालत ने वादीगण का वाद इस आशय के साथ स्वीकार किया कि आराजी हाल खसरा नम्बर 273 रकबा 0.13, 370 रकबा 0.09, 371 रकबा 0.17, 372 रकबा 0.17, 418 रकबा 0.23, 452 रकबा 0.18 हैक्ट. कुल किता 6 रकबा 0.97 हैक्ट. वाके ग्राम गोलेटा तहसील रामगढ जिला अलवर में वादीगण व प्रतिवादीगण की उपस्थिति में राजस्व रिकॉर्ड में हिस्सा अनुसार व मौके के अनुसार अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी तकसीम कर प्रारम्भिक डिक्री विभाजन अनुसार तहसीलदार रामगढ प्रस्ताव तैयार कर आगामी दिनांक 29.09.2017 से पूर्व भिजवाये। बाद विभाजन वादीगण व प्रतिवादीगण एक दूसरे की आराजी के कब्जे काश्त में रूकावट व मताहमत नहीं करेंगे। तदानुसार प्रारम्भिक पर्चा डिक्री बनायी गई। मातहत अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ के उक्त निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर वादीगण द्वारा अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण द्वारा यह जाहिर किया गया कि वादीगण विवादित आराजी पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है और जिस विवादित आराजी में तरतीबी रेस्पोडेण्टान का 1/10–1/10 हिस्सा निहित है किन्तु तरतीबी प्रतिवादी हमीदी द्वारा अपना 1/10 हिस्सा समसू को तथा असरी द्वारा अपना 1/10 हिस्सा नसरू को जरिये इन्तकाल संख्या 490 दिनांक 20.08.2015 को तथा तरतीबी प्रतिवादी जुम्मी द्वारा अपना 1/10 हिस्सा सकील पुत्र हमीदा को जरिये इन्तकाल संख्या 493 दिनांक 21.09.2015 को तथा तरतीबी प्रतिवादी अख्तरी द्वारा अपना 1/10 हिस्सा अख्तर को जरिये इन्तकाल संख्या 494 दिनांक 21.09.2015 के द्वारा हकत्याग कर दिया जिसका अमल राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में हो गया तथा तरतीबी प्रतिवादी ताजूली द्वारा अपने 1/10 हिस्सा में से 1/4–1/4 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र के द्वारा अपीलाण्टान व तरतीबी रेस्पोडेण्ट सं. 7 के हक में कर दिया तथा विवादित भूमि से तरतीबी प्रतिवादी/तरतीबी रेस्पोडेण्टान 2 लगायत 6 का कोई हक हिस्सा शेष नहीं रहा और ना ही कोई हित उक्त आराजी में निहित रहा है और वादी अपीलाण्टान उक्त आराजी के 2/10–2/10 हिस्सा के काबिज काश्तकार है। इन तथ्यों पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कतई गौर नहीं करते हुए खिलाफ कानून व खिलाफ रिकार्ड आलोच्य निर्णय पारित किया गया है।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र दफा 05 लिमिटेशन एक्ट भी पेश किया। प्रार्थना पत्र दफा 05 लिमिटेशन एक्ट के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति है जिन्हे कानून का कतई कोई ज्ञान नहीं है और अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कैम्प कोर्ट में बिना अपीलाण्ट की उपस्थिति में वाद का निस्तारण कर आदेश पारित किया है जिसकी कतई कोई जानकारी अपीलाण्ट को नहीं रही जिस आलोच्य निर्णय की जानकारी हाल ही में हुई है जिस पर नकल प्राप्त कर वकील साहब से राय मशविरा करने पर बिना किसी देरी के अपील पेश की है जो देरी की अवधि अपीलाण्ट प्रार्थी की सदभावना व नेकनियति पर आधारित है और देरी की अवधि दिनांक 30.06.2017 से 24.08.2018 तक कण्डोन किये जाने योग्य है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

सर्वप्रथम अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 05 लिमिटेशन एक्ट पर संक्षिप्त बहस करते हुये प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की।

इसके बाद अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का खण्डन करते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट को निर्णय एवं डिक्री की जानकारी प्रारम्भ से ही थी। देरी का कोई दिनप्रतिदिन कारण अंकित नहीं किया गया है। अतः अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज कर अपील खारिज की जावें।

अभिभाषक अपीलांट ने मुख्य बहस में अपील के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया। अपीलांट अभिभाषक का बहस में कथन है कि विवादित भूमि से तरतीबी प्रतिवादी/तरतीबी रेस्पोडेण्टान 2 लगायत 6 का कोई हक हिस्सा शेष नहीं रहा और ना ही कोई हित उक्त आराजी में निहित रहा है और वादी अपीलाण्टान उक्त आराजी के 2/10–2/10 हिस्सा के काबिज काश्तकार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई वास्तविक साक्ष्य का अवलोकन किये आलोच्य आदेश पारित किया गया है। अतः अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर द्वारा पारित निर्णय व प्रारम्भिक पर्चा डिक्री दिनांक 30.06.2017 निरस्त फरमाये जाने हेतु निवेदन किया।

अभिभाषक रेस्पोडेण्ट ने कथन किया कि प्रारम्भिक डिक्री में केवल जमाबंदी के हक्क हिस्से अनुसार ही कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार होने है और यदि अपीलाण्ट को कोई आपत्ति है तो वक्त कुर्रेजात तैयारी व अन्तिम डिक्री से पूर्व अपना आक्षेप दर्ज करा सकते है। इसी प्रकार का आदेश अदालत उपखण्ड अधिकारी रामगढ द्वारा जारी किया गया है, जो विधिक प्रावधानों के अनुसार सही है। अपीलाण्ट अपील खारिज की जावें।

हमने अभिभाषक अपीलाण्ट की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपील के तथ्य तथा वाद के तथ्यों का अवलोकन किया गया और अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2017 का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट पर मनन किया गया। विभिन्न न्यायालयों के निर्ण्य का निष्कर्ष है कि वाद का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए न कि तकनीकी आधार पर। इसके अतिरिक्त धारा 5 के साथ संलग्न शपथ पत्र पर भी

अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 अन्तर्गत मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

पत्रावली दिनांक 01.09.15 को वास्ते जवाब में नियत थी। दिनांक 14.02.17 को पत्रावली 25.04.2017 में नियत थी तत्पश्चात 30.06.2017 को सीधे ही लोक अदालत कैसरोली हेतु नियत किया गया। इस बाबत प्रतिवादी/अपीलांट को सुनवाई के नोटिस की तामील नहीं है। कैम्प कोर्ट में न तो वादीगण उपस्थित थे न ही प्रतिवादीगण। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद खारिज होना चाहिए था, परन्तु तहत अदालत द्वारा 'बिना सहमति के ही' राजस्व लोक अदालत में वाद का निस्तारण वादी के पक्ष में किया गया है। लोक अदालत में केवल राजीनामा के प्रकरण ही निस्तारित किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अपील मीमो के जिमन नंबर 2 के अनुसार हमीदी, असरी, जुम्मी, अख्तरी तथा ताजूली द्वारा अपने खातेदारी अधिकारों का हक त्याग व ताजूली द्वारा दिनांक 09.08.2018 को विक्रय किया जाना है, इससे अपीलाण्ट के हकों में वैधानिक परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। इस तथ्य को अदालत मातहत द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30.06.2017 में शामिल नहीं किया जाकर केवल विभाजन का ही निर्णय किया बल्कि इसमें खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा भी की जानी है।

इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम रिकॉर्ड का सही विवेचन न करने व ताके अदालत में बिना सहमति के निर्णय पारित करने से निर्णय में वैधानिक त्रुटि पाई जाती है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट अपील स्वीकार की जाती है। अदालत मातहत के निर्णय दिनांक 30.06.2017 को अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली तहत अदालत में इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में उभयपक्षकारान को विधिवत सुनवाई का अवसर देते हुए, पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड व साक्ष्य का सही विवेचन करते हुए, विधिक प्रक्रिया अनुसार पुनः निर्णय पारित करें एवं अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (बोर्ड) नियम 18–21 की पालना करवाते हुए कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करावें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

पक्षकारान को निर्देशित किया जाता है कि वे तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ में दिनांक 03.05.2021 को उपस्थित हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि राम मीना) 31.3.21
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर